

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :-89/2025

मोहन लाल काजला

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला परिषद्, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीकर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खंडेला, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025

आदेश की दिनांक : 21.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, खंडेला, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, अलसीसर, जिला झुंझुनू में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी हार्ट पेसेंट है। जिसका ईलाज जयपुर में चल रहा है। ऐसे में अगर अपीलार्थी का स्थानान्तरण होता है तो अपीलार्थी की पत्नी का ईलाज ठीक से नहीं हो पायेगा। अपीलार्थी का पीछले ढाई साल में चार बार स्थानान्तरण किया जा चुका है। जिससे अपीलार्थी मानसिक रूप से परेशान है। अतः अपीलार्थी की पत्नी की बीमारी की समस्या को देखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा यह आदेश किसी विशिष्ट प्रकार से प्रकरण को निस्तारण के निर्देश नहीं है, बल्कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य